कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, ब्लाक 4, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

क्रमांक \60 /त.शा.–2/F-116/2021–22/ प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2021 अटल नगर, दिनांक 17.11.2021

//आदेश//

शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), मुंबई के निर्देशानुसार अप्रेन्टिस एक्ट 1961 (यथा संशोधित) की धारा–8 (3ए) के तहत् रिक्त पदों की पूर्ति के लिए NATS वेबसाईट में उपलब्ध Aspire Candidate सूची से निम्नलिखित प्रशिक्षु को 01 वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक छात्रवृत्ति की दर पर नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु चयन कर आदेशित किया जाता है :–

क्र.	प्रशिक्षु का नाम	मुम्बई मुख्यालय से प्राप्त इनरॉलमेंट नंबर	श्रेणी	डिग्री/ डिप्लोमा	कार्यालय का नाम
कम्प्युटर इंजीनियरिंग					
01.	कु. साजिया परवीन	WCTG1222104000001	सामान्य	डिग्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर

<u>उपरोक्त चयन निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है –</u>

1. आदेश दिनांक से 10 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ करना होगा। निर्धारित समयावधि में उपस्थिति नहीं देने पर चयन निरस्त किया जावेगा।
2. प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 यथा संशोधित में उल्लेखित समस्त शर्तें लागू होंगी।
3. उपस्थिति उपरांत प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षु मण्डल द्वारा अनुबंध सृजन (Contract creation) हेतु मांगी जाने वाली सहमति दिया जाना आवश्यक होगा। सहमति नही दिये जाने की स्थिति में प्रशिक्षण हेतु चयन निरस्त माना जावेगा।
4. प्रशिक्षु द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनदिनी संधारित किया जाना होगा।
5. प्रशिक्षु द्वारा द्विमाही जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से भरकर भेजना होगा।
6. प्रशिक्षण के दौरान डिग्रीधारी प्रशिक्षु को छात्रवृत्ति के रूप में रू. 9000.00 प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी को रू. 8000.00 प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
7. छात्रवृत्ति भुगतान उपरान्त बैंक स्टेटमेंट की प्रति उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
8. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुता अधिनियम के अनुसार 12 आकस्मिक अवकाश एवं 15 मेडिकल अवकाश की पात्रता रहेगी तथा समस्त शासकीय अवकाश भी मान्य रहेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त अवकाश होने पर प्रशिक्षण निरस्त किया जा सकेगा।
9. प्रशिक्षण अवधि में बिना कारण त्याग पत्र दिया जाना मान्य नहीं होगा, त्याग पत्र के मान्य कारण (i) गंभीर बीमारी (ii) उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश (iii) किसी विभाग में नियुक्ति होना निर्धारित है। बिना कारण प्रशिक्षण छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षु को 03 माह की छात्रवृत्ति की राशि विभाग में जमा करनी होगी।
10. प्रशिक्षण अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर चयन निरस्त किया जा सकता है।
11. **<u>प्रशिक्षण के पश्चात् विभाग नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं होगा ।</u>**
12. प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त स्थाई प्रमाण पत्र मुम्बई मुख्यालय से प्राप्त होगा।

प्रारूप प्र.अ. द्वारा अनुमोदित।

अधीक्षण अभियंता एवं
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम),
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

17.11.21

P.T.O.

पृ.क. 6326/त.शा.–2/F-116/2021–22/ प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2021 अटल नगर, दिनांक 17.11.2021

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक निर्देशक शिक्षु प्रशिक्षण मण्डल (पश्चिम क्षेत्र), ए.टी.आई. कैम्पस वी.एन. पूरव मार्ग सीओन, मुंबई 400022 की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 139 दिनांक 09.01.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि पत्र में उल्लेख अनुसार संशोधित अनुपात अनुसार 19 प्रशिक्षुओं के कोटे को पूर्ण करने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति की कार्यवाही की जा रही है।
3. कार्यपालन अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि कृपया विभागीय वेबसाइट में अपलोड करें।
4. **कुमारी साजिया परवीन, प्रशिक्षु, ट्रेड कम्प्यूटर साइंस इंजीनियर, डिग्री, पताः– मकान नं. 203, ब्लॉक नम्बर 36, ई.डब्ल्यू.एस. कॉलोनी, सेक्टर 30, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़** की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति आदेश दिनांक से 10 दिवस के भीतर संबंधित कार्यालय में अपनी उपस्थिति देते हुए प्रशिक्षण प्रारंभ करें। निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने पर चयन निरस्त किया जा सकेगा। आपके द्वारा प्रति दिवस निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार दैनंदिनी संधारित किया जायेगा दैनंदिनी एवं द्विमाही प्रगति प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र संलग्न है।
5. स्थापना शाखा/लेखा शाखा, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
6. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

MIS (SM)
17/11/21

सहपत्रः– दैनंदिनी एवं द्विमाही प्रगति प्रतिवेदन का निर्धारित प्रपत्र कमांक 04 के लिये।

प्रारूप प्र.अ. द्वारा अनुमोदित।

अधीक्षण अभियंता एवं
नोडल अधिकारी (प्रशिक्षु अधिनियम),
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

17.11.21